झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रांची

पत्रांक :–वि0प्रा0योजना–54 / 11 (पार्ट–2) / रांची, दिनांक–

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

जॉर्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

द्वारा :– आन्तरिक वितीय सलाहकार

सेवामें,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
पोस्ट–हिनु, रांची।

विषय :– **वर्तमान वितीय वर्ष 2024–25 में डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोतर पाठ्यक्रम / राजकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण / सुदृढ़ीकरण / स्थापना आदि / संविदा के आधार पर रखे गये कर्मियों के वेतन भुगतान एवं राज्यान्तर्गत स्थापित होने वाले नये राजकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए प्रस्तावित मदों में व्यय हेतु कुल रू0 60,00,00,000 / – (रू0 साठ करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः–स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित विभाग के पत्रांक–257 दिनांक–21.03.2024 के आलोक में वर्तमान वितीय वर्ष 2024–25 में संबंधित शीर्षो में उपबंधित राशि व्यय प्रयोजन हेतु निम्न विवरणी के अनुसार कुल रू0 60,00,00,000 / – (रू0 साठ करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है :–

क्र0	इकाई का नाम	OSP	TSP	Total
1	वेतन	2,27,86,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300112AN000101)		2,27,86,000.00
2	संविदा भता	6,43,81,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300112AN000108)		6,43,81,000.00
3	मानदेय	9,00,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300112AN000109)	4,90,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300796AN000109)	13,90,00,000.00
4	देशीय यात्रा व्यय	4,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300112AN000213)		4,00,000.00
5	कार्यालय व्यय	1,29,51,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300112AN000315)	30,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300796AN000315)	1,59,51,000.00
6	किराया, दर, कर	14,50,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300112AN000316)		14,50,000.00
7	कार्यालय उपकरण	8,00,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300112AN000317)	2,00,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300796AN000317)	10,00,00,000.00
8	सेमिनार / समारोह / कार्यशाला	5,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300112AN000321)		5,00,000.00
9	आपूर्ति एवं सामग्री	9,00,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300112AN000323)	3,00,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300796AN000323)	12,00,00,000.00
10	व्यावसायिक सेवाएँ	9,10,32,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300112AN000329)		9,10,32,000.00
11	पुस्तकालय	1,00,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300112AN000332)		1,00,00,000.00
12	दूरभाष	56,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300112AN000333)		56,00,000.00
13	विद्युत व्यय	66,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300112AN000337)		66,00,000.00
14	रख–रखाव मरम्मति	1,00,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300112AN000339)	1,00,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300796AN000339)	2,00,00,000.00
15	मोटर वाहन	23,00,000.00 (विपत्र कोड़–43S220300112AN000441)		23,00,000.00
	कुल	48,80,00,000.00	11,20,00,000.00	60,00,00,000.00

2. उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लधु शीर्ष–112–इंजीनियरी / तकनीकी कालेज तथा संस्थान–उप शीर्ष–AN–डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोतर पाठ्यक्रम / तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण के विभिन्न विस्तृत शीर्षो में वितीय वर्ष 2024–25 में उपबंधित राशि रू0 48,80,00,000 / – (रू0 अड़तालीस करोड़ अस्सी लाख) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-AN-डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोतर पाठ्यक्रम/तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण के विभिन्न विस्तृत शीर्षो में वितीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि रू0 11,20,00,000/- (रू0 ग्यारह करोड़ बीस लाख) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
4. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाब देही होगी।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगें कि इस कार्य के लिये अन्य स्त्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
6. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा कोड़ 2101 है।
7. स्वीकृत्यादेश में निहित राशि का आवंटन आदेश आवश्यकतानुसार निर्गत किया जायेगा। तदोपरान्त ही राशि निकासी एवं व्ययन योग्य होगी।
8. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित बी0आई0टी0 सिन्दरी/राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू/गोडडा/बोकारो/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक के निदेशक/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी होगें।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आंवटनादेश निर्गत होने के पश्चात ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेगें।
11. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित विभाग के आदेश पत्रांक-257 दिनांक-21.03.202 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।
12. राशि की निकासी जिला कोषागार, राँची/बोकारो/जमशेदपुर/दुमका/कोडरमा/सरायकेला/धनबाद/पलामू/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/गोडडा/उप कोषागार, तेनुघाट से की जायेगी।
13. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित विभाग (अंकेक्षण) को होगा।
14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
15. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री की सहमति प्राप्त है।
16. वित विभाग के संकल्प संख्या-2741 दिनांक- 23/10/03 के आलोक में प्रारूप पर आन्तरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0, सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
(जॉर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-वि0प्रा0योजना-54/11 (पार्ट-2) /रांची, दिनांक-

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/बोकारो/जमशेदपुर/दुमका/कोडरमा/सरायकेला/धनबाद/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/गोडडा/पलामू/उप कोषागार, तेनुघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-वि0प्रा0योजना-54/11 (पार्ट-2)- 02/योजना /रांची, दिनांक- 06.05.2024

प्रतिलिपि :- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/आन्तरिक वितीय सलाहकार/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू/गोडडा/बोकारो/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/बजट पदाधिकारी/नोड़ल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/5/24
सरकार के संयुक्त सचिव